भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1034
उत्तर देने की तारीख 29.07.2024

राष्ट्रीय संस्कृति निधि

1034. श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 के अंतर्गत एक न्यास के रूप में राष्ट्रीय संस्कृति निधि (एनसीएफ) की स्थापना की है;
(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय संस्कृति निधि के उद्देश्य, विशेषताएं और भूमिका क्या-क्या हैं;
(ग) क्या सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रणाली के अंतर्गत एनसीएफ द्वारा अनुमोदित सभी परियोजनाओं की प्रगति की परियोजना कार्यान्वयन समिति द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) सरकार द्वारा उन दाताओं/प्रायोजक एजेंसियों के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं जिन्हें संरक्षित स्मारकों/सांस्कृतिक परियोजनाओं के रख-रखाव का दायित्व सौंपा गया है; और
(ङ) क्या उक्त दाता/प्रायोजक एजेंसियां इन मानकों और मानदंडों का अनुपालन कर रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): जी, हां। सरकार ने राष्ट्रीय संस्कृति निधि (एनसीएफ) की स्थापना भारत की सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन, संरक्षण और परिरक्षण के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारियों (पीपीपी) के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उद्देश्य से पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 के अंतर्गत 28 नवम्बर, 1996 को एक न्यास के रूप में की थी।

एनसीएफ के कुछ मुख्य **उद्देश्य** निम्नानुसार हैं:

i) रक्षित या अन्यथा स्मारकों के संरक्षण, अनुरक्षण, संवर्धन, रक्षण, परिरक्षण और स्तरोन्नयन के लिए निधि का प्रबंध और उपयोग करना;

ii) विशेषज्ञों और सांस्कृतिक प्रशासकों के संवर्ग का प्रशिक्षण और विकास करना,

iii) मौजूदा संग्रहालयों में अतिरिक्त स्थान प्रदान करना और नई एवं विशेष दीर्घाओं का संयोजन एवं सृजन करने के लिए नए संग्रहालयों का निर्माण करना।

iv) उन सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों एवं शैलियों का प्रलेखन करना जो समकालीन परिदृश्य में अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं और या तो समाप्त हो रहे हैं या समाप्त होने की कगार पर हैं।

एनसीएफ की विशेषताएं:

i) एनसीएफ को एक परिषद के माध्यम से प्रबंधित और प्रशासित किया जाता है जिसके अध्यक्ष संस्कृति मंत्री होते हैं और नीतियों के संबंध में निर्णय लेने हेतु इसमें अधिकतम 25 सदस्य होते हैं।

ii) सचिव, (संस्कृति मंत्रालय) की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति और उन नीतियों को कार्यान्वित करने हेतु अधिकतम 11 सदस्य होते हैं।

iii) राष्ट्रीय संस्कृति निधि हेतु दान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी (ii) के अंतर्गत कर में 100 प्रतिशत छूट के लिए पात्र हैं।

iv) एनसीएफ के कार्यकलाप निम्नलिखित के तहत कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के वैध प्राप्तकर्ता के रूप में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII संख्या (v) के अंतर्गत सम्मिलित हैं:

"(v) ऐतिहासिक महत्व के स्थलों और भवनों तथा कलाकृतियों के जीर्णोद्धार सहित राष्ट्रीय धरोहर, कला एवं संस्कृति का संरक्षण; सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना; पारंपरिक कलाओं और हस्तशिल्पों का संवर्धन और विकास"

v) वार्षिक लेखाओं को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सम्परीक्षित किया जाता है।

एनसीएफ की भूमिका :

एनसीएफ, कारपोरेट जगत, गैर-सरकारी संगठनों आदि के साथ भागीदारी करते हुए मानदंडों के अनुसार कार्यान्वित विरासत परियोजनाओं से संबंधित परिरक्षण और संरक्षण कार्य को करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त, एनसीएफ दानदाता/प्रायोजक को किसी विशिष्ट स्थान/पहलू सहित परियोजना और उस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वयन एजेंसी विनिर्दिष्ट करने का लचीलापन भी प्रदान करता है।

(ग): जी, हां। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीपीपी प्रणाली में एनसीएफ द्वारा सहायता प्राप्त एएसआई परियोजनाएं विलंबित न हों, एएसआई की परियोजनाओं के लिए महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की अध्यक्षता में और अन्य परियोजनाओं के लिए एनसीएफ/संस्कृति मंत्रालय के पदधारियों की अध्यक्षता में, परियोजना कार्यान्वयन

समिति (पीआईसी) की बैठकों का नियमित रूप से आयोजन किया जाता है ताकि प्रगति और बाधारहित कार्यान्वयन की निगरानी की जा सके।

(घ) और (ङ): एनसीएफ के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों/सांस्कृतिक परियोजनाओं के परिरक्षण और रखरखाव हेतु एनसीएफ कारपोरेट जगत, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी क्षेत्र के बैंकों, न्यासों और व्यक्तियों से दान प्राप्त कर सकता है। सभी दाताओं/प्रायोजकों का दायित्व है कि वे किसी विशेष परियोजना के लिए सहमत समझौता ज्ञापन की शर्तों एवं निबंधनों का अनुपालन करें।

*****